हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

62वी बैठक का एजेण्डा

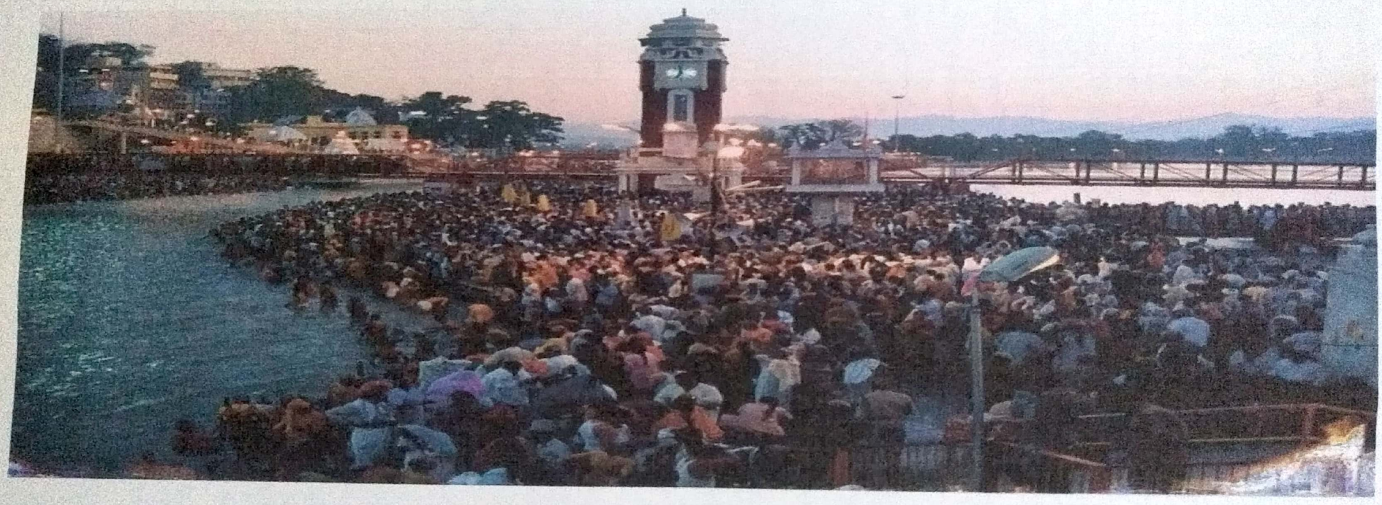

दिनांकः 02/01/2017

(परिचालन के माध्यम से)

स्थानः– हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, सभागार

कार्यालय हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

पत्रांक: /प्रशा0 02(क) 79/2016–17 दिनांक: दिसम्बर 2016

प्रमाण पत्र

राज्य वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों के कम में शासनादेश सख्या 294/XXVii (7)30(11) 2016 दिनांक 30.12.2016 के बिन्दु 03 के कम में उल्लिखित है कि "पूर्व में सभी नगर निकायों में छठे वेतनमानों के अनुरूप कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये गये हैं। पुनरीक्षित वेतनमानों से बढने वाले व्ययभार सहित नागरिक सेवाओं व संरचना/विकास कार्यों हेतु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता बनी रहे इस दृष्टिकोण से नगर निकायों के सम्बन्ध में एकाधिक उपचारात्मक कार्यवाही व आय बढाने की व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए। इस प्रतिबन्ध सहित प्रत्येक नगर निकाय के सम्बन्ध में उनके वार्षिक सम्परीक्षा लेखा/तुलन पत्र अध्यावधिक पूर्ण कर लेने तथा आर्थिक स्थिति उपयुक्त होने पर पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य करने पर विचार किया जाए।"

तद्नुसार हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार की वार्षिक सम्परीक्षित लेखा/तुलन पत्र का विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	आय रू0. लाख में	व्यय रू0. लाख में
2014	6301.66	1717.75
2015	6312.71	1239.08
2016	7379.43	1418.42

उपरोक्तानुसार प्रमाणित किया जाता है कि विगत 03 वर्षो के लेखा सम्परीक्षा/तुल्नात्मक विवरण के अनुसार नागरीक सेवाओं/विकास कार्यों हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था उपरान्त प्राधिकरण आय सुदृढ है तथा सातवें वेतन अनुसार कर्मचारियों के वेतनों का भुगतान करने पर प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

प्राधिकरण वेतन व्यय का भुगतान अपने संसाधनों से करने मे सक्षम है।

(डा0 तन्जीम अली)
मुख्य वित्त अधिकारी

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव

(156)

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण की 62 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन विधि) का कार्यवृत्त

मद संख्या–62(01)

विषयः– हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों / अधिकारियों को 7 वॉ वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागु किये जाने के सम्बन्ध में।

शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 294/xxII(7)30(11)) / 2016 दिनांक 30 दिसम्बर 2016 द्वारा राज्य वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त शासनादेश को प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने हेतु निम्न प्रकार निर्देशित किया गया है।

2. विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को देखते हुये सम्बन्धित बोर्ड से पारित प्रस्ताव के कम में वेतन मैट्रिक्स लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा यथा प्रकिया आदेश जारी किये जायेगें।

उक्त के कम मे प्राधिकरण की विगत तीन वर्षो की वित्तीय संलग्न विवरण के अनुसार स्थिति निम्नवत है:–

वर्ष	आय (रू0 लाख में)	व्यय (रू0 लाख में)
2014	6301.66	1717.75
2015	6312.71	1239.08
2016	7379.43	1418.42

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण वित्तीय स्थिति सुदृढ है, जिसके कम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 294/xxII(7)30(11)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर 2016 को अगीकृत करतें हुये राज्य सरकार द्वारा निर्गत वेतन मैट्रिक्स के अनुसार 7 वां वेतन आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों / कर्मचारियों को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध मे प्रस्ताव अवलोकनार्थ एव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार

जिलाधिकारी,
हरिद्वार

वरिष्ठ नगर एव ग्राम नियोजक
ग्राम्य एव नगर नियोजक, विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य पार्षद अधिकारी
नगर निगम,
हरिद्वार

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
ऋषिकेश

(इरशाद खान)
सदस्य
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

(नमन अग्रवाल)
सदस्य
हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

अध्यक्ष,
नगर पचायत, मुनि की रेती
टिहरी